12/6/17 (राजस्व लोक अदालत कैम्प दादाई)
पत्रावली प्रस्तुत हुई। वादीगण उप.
वादी संख्या 1 व 2 ने नोटिस
लेने से इंकार किया एवं वादी
सं. 3 को जारी नोटिस चस्पांगी
सहित प्राप्त है, वादीगण अनुपस्थित
रहने से उनके विरुद्ध एकपक्षीय
कार्यवाही अमल में लाई जाती है।
प्रतिवादी सं. 3, 4, 6, 11 एवं 12
उपस्थित।
उपस्थित प्रतिवादीगणों को
सुना गया। पत्रावली एवं राजस्व
रेकार्ड का अवलोकन किया।
खतौनी जमाबन्दी में वादग्रस्त
भूमि ग्राम दादाई के ख. नं.
940, 944, 945, 946, 1029,

Contd →

उपस्थित
अमराराम
नेनाराम

1030, 1032 कुल क्षेत्रफल 9.97 हेक्टर "डोली-धर्मपुरा मुरलीधर देह हाजा लालके" दर्ज है। वादग्रस्त भूमि के संबंध में वादीगण द्वारा प्रतिवादीगणों के विरुद्ध वाद अन्तर्गत धारा 188 R.T. Act प्रस्तुत किया गया है। वादग्रस्त भूमि के वादीगण खातेदार/आसामी नहीं है, अपितु वादग्रस्त भूमि "डोली धर्मपुरा मुरलीधर देह लालके" अधिकार अभिलेखों में दर्ज है। धारा 188 R.T. Act का वाद आसामी/खातेदार ही प्रस्तुत करता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा-5 (43) में "आसामी" को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार भी वादी यह वाद लाने का अधिकारी नहीं है। इस संबंध में हमारे द्वारा माननीय न्यायालयों के द्वारा प्रतिपादित उद्धरण/रूलिंग्स कागजात

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	रवाजू 1964 R.R.D. 247, 1968 R RD 133, 1974 RRD 164, 305, 384 475, 1970 RRD 223 इत्यादि का आदरपूर्वक अवलोकन किया गया, जिससे भी उक्त तथ्य की पुष्टि होती है। वादीगण वादग्रस्त भूमि के न तो खातेदार है एवं न ही किसी प्रकार से आसामी की हैसियत में ही है।
	अतः वाद वादीगण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर संख्या से कम हो।
	(राजेश [illegible]) अधिकारी (पाली) SDO देसूरी